

## वशेष श्रेणी का दर्जा

### प्रलिस के लयि:

वशेष श्रेणी का दर्जा, बहिर जात-आधारति सरवेकषण, 2022, योजना आयोग, अनुचछेद 370, केंद्र प्रायोजति योजना

### मेन्स के लयि:

वशेष श्रेणी का दर्जा, वभिनिन कषेत्रों में वकिस के लयि सरकारी नीतयिों और हस्तकषेप तथा उनकी रूपरेखा और कारयान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हद्वि](#)

## चरचा में कयों?

हाल ही में बहिर कैबनिट ने बहिर को [वशेष श्रेणी का दर्जा \(SCS\)](#) देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारति कयिा है ।

- यह मांग "[बहिर जात-आधारति सरवेकषण, 2022](#)" के नषिकर्षों की पृष्ठभूमि में उठी है, जसिमें पता चला है कबिहिर की लगभग एक-तहिाई आबादी नरिधनता में जीवन यापन कर रही है ।

## वशेष श्रेणी का दर्जा क्या है?

### परचिय:

- SCS भौगोलकि तथा सामाजकि-आर्थकि नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के वकिस में सहायता के लयि केंद्र द्वारा नरिधारति एक वर्गीकरण है ।
- संवधान SCS के लयि कोई प्रावधान नहीं करता है तथा यह वर्गीकरण बाद में वर्ष 1969 में पाँचवें वतित आयोग की सफिरशिों के आधार पर कयिा गया था ।
- पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम तथा नगालैंड को यह दर्जा प्रदान कयिा गया था ।
- पूरव में [योजना आयोग](#) की राष्टरीय वकिस परषिद द्वारा योजना के तहत सहायता के लयि SCS प्रदान कयिा गया था ।
- असम, नगालैंड, हमिाचल प्रदेश, मणपिर, मेघालय, सकि्कमि, त्रपुरिा, अरुणाचल प्रदेश, मज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहति 11 राज्यों को वशेष श्रेणी का दर्जा दयिा गया ।
  - भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा दयिा गया कयोंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठति कयिा गया था ।
- SCS, वशेष दर्जे से भनिन है जो क उन्नत वधायी तथा राजनीतकि अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल आर्थकि एवं वतितिय पहलुओं से संबंघति है ।
  - उदाहरण के लयि [अनुचछेद 370](#) के नरिस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को वशेष दर्जा प्राप्त था ।

### नरिधारक (गाडगलि सफिरशि पर आधारति):

- पहाड़ी इलाका
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हसिसा
- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरकि स्थति
- आर्थकि तथा आधारभूत संरचना में पछिड़ापन
- राज्य के वतित की अव्यवहार्य प्रकृति

### लाभ:

- अतीत में SCS राज्यों को गाडगलि-मुखरजी फॉर्मूले द्वारा नरिधारति लगभग 30% केंदरीय सहायता मलति थी ।
  - हालाँकि 14वें और 15वें वतित आयोग (Finance Commissions- FC) की सफिरशिों तथा योजना आयोग के वधिटन के बाद SCS राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लयि वतिरण पूल फंड (Divisible Pool Funds) के बड़े हस्तांतरण में शामिल कर दी गई है (जो कि 15वें वतित आयोग में 32% से 41% तक बढ़ गई है) ।
- केंद्र वशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को [केंद्र-प्रायोजति योजना](#) में आवश्यक धनराशि का 90% का भुगतान करता है, जबकि अन्य

- राज्यों के मामले में यह 60% या 75% है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।
- एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिये संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है।
- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर एवं कॉर्पोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।

## बिहार क्यों मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा (SCS)?

- आर्थिक असमानताएँ:**
  - बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश अवसरों सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप उद्योगों को झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे बढ़ गए।
- प्राकृतिक आपदाएँ:**
  - राज्य, उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है।
  - बार-बार आने वाली आपदाएँ कृषिगत विधियों को बाधित करती हैं, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है।
- बुनियादी ढाँचे की कमी:**
  - बुनियादी ढाँचा, विशेषकर संचाई सुविधाओं और जल आपूर्ति के मामले में अपर्याप्त बना हुआ है।
  - संचाई के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
- गरीबी और सामाजिक विकास:**
  - बिहार में गरीबी दर उच्च है, यहाँ बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
  - लगभग 54,000 रुपए प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है। बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं और SCS देने से सरकार को अगले 5 वर्षों में विभिन्न कल्याण उपायों के लिये आवश्यक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- विकास के लिये वित्तपोषण:**
  - SCS की मांग का उद्देश्य केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना है, जिससे बिहार को विकास परियोजनाओं के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

## क्या बिहार SCS के अनुदान हेतु मानदंड पूरा करता है?

- यद्यपि बिहार SCS अनुदान के अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन यह पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है।
- वर्ष 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को 'अल्प विकासी श्रेणी' में रखा और SCS के बजाय 'बहु-आयामी सूचकांक' पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया, जिस पर राज्य के सामाजिक-आर्थिक पछिड़ेपन को दूर करने के लिये पुनः विचार किया जा सकता है।

## क्या अन्य राज्य भी SCS चाहते हैं?

- वर्ष 2014 में अपने विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व हानि के आधार पर SCS अनुदान मांगा है।
- इसके अतिरिक्त ओडिशा भी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और एक बड़ी जनजातीय आबादी (लगभग 22%) के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए SCS के लिये अनुरोध कर रहा है।
- फरि भी केंद्र सरकार ने 14वीं FC रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके अनुरोधों को लगातार खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को सफारिश की गई थी कि किसी भी राज्य को SCS नहीं दिया जाना चाहिये।

## विशेष श्रेणी दर्जे (SCS) से संबंधित चर्चाएँ क्या हैं?

- संसाधनों का आवंटन:**
  - SCS देने में राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है, जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। विभिन्न राज्यों के बीच धन के आवंटन को संतुलित करना महत्वपूर्ण हो जाता है और SCS देने से और विशेष श्रेणी दर्जा राज्यों के बीच असमानता या असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
- केंद्रीय सहायता पर निर्भरता:**
  - SCS वाले राज्य अक्सर केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। यह संभावित रूप से आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों के प्रयासों को हतोत्साहित कर सकता है।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ:**
  - SCS के अनुदान के बाद भी प्रशासनिक अक्षमताओं, भ्रष्टाचार या उचित योजना की कमी के कारण धनराशि के प्रभावी उपयोग जैसी

चुनौतियाँ आवंटित धनराशिका उपयोग इच्छति उद्देश्यों के लिये करने में बाधक बन सकती हैं ।

## आगे की राह

- नषिपक्षता और पारदर्शति सुनशिचति करने के लिये **SCS देने के मानदंडों पर पुनः वचिर करने और उन्हें परषिकृत करने** की आवश्यकता है । सामाजकि-आर्थकि संकेतकों, बुनयिदी ढाँचे के वकिस और अन्य परासंगकि कारकों के आधार पर पात्रता के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परभिषति करना ।
- राज्यों को व्यापक वकिस योजनाएँ बनाने के लिये प्रोत्साहति करने की आवश्यकता है जसिमें सतत् वकिस, रोजगार सृजन, बुनयिदी ढाँचे का वकिस और मानव पूंजी वकिस पर ध्यान केंद्रति करना शामिल है । SCS को समग्र वकिस के लिये व्यापक रणनीतिका हसिसा बनाना चाहयि ।
- ऐसी नीतियाँ लागू करना जो आत्मनरिभरता और आर्थकि वविधीकरण को बढ़ावा देकर केंद्रीय सहायता पर राज्यों की नरिभरता को धीरे-धीरे कम करें । राज्यों को अपना राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहति करना ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-category-status-3>

